



क्र./स्टोर/सुरक्षा व्यवस्था /निविदा/2018/987

रायपुर दिनांक 16.03.2018

निविदा फार्म क्रमांक

संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्/सीमेत भवन कुल क्षेत्रफल 17,775 वर्गफीट (तीन मंजिल) तथा अतिथिगृह भवन का कुल क्षेत्रफल 29,939 वर्गफीट पर (पाँच मंजिल) निर्मित भवनों एवं लॉन एरिया 30,000 वर्गफीट की सुरक्षा व्यवस्था हेतु एक कैलेंडर वर्ष के लिए वर्ष 2018 हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र की बिक्री/जमाकरने/ खोले जाने की तिथि एवं समय तथा स्थान की जानकारी निम्नानुसार है:-

1. निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि दिनांक 05.04.2018 सायं 05.00 बजे तक
2. निविदा जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 06.04.2018 दोपहर 02.00 बजे तक
3. निविदा खोलने की तिथि दिनांक 06.04.2018 सायं 4.00 बजे तक

स्थान- संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और
प्रशिक्षण परिषद्, छ.ग. रायपुर

निविदा प्रपत्र, नियम एवं शर्तें तथा अन्य जानकारी कार्यालयीन समय पर कार्यालय राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् में प्राप्त की जा सकती है।

निविदा प्रपत्र का मूल्य 500/- (पाँच सौ रुपये मात्र) है, जिसे नगद जमा करना होगा। वह राशि वापसी योग्य नहीं होगी।

नियम एवं शर्तें:-

1. निविदा दो सीलबंद लिफाफा 'ए' एवं 'बी' में जमा करना होगा।

(अ) लिफाफा 'ए' में निर्धारित आवेदन पत्र फार्म 'ए' के साथ रु. 50,000/- (अक्षरी पचास हजार रु.) मात्र का अनुसूचित बैंक का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, छत्तीसगढ़ रायपुर के नाम देय होगा, रखा जावे। इस लिफाफा के ऊपर बड़े अक्षरों में आवेदन पत्र व सुरक्षा राशि का लिफाफा - ए लिखा जावे।

- (ब) लिफाफा 'बी' वित्तीय निविदा निर्धारित प्रपत्र में फार्म-बी रखा जावे इस लिफाफा के ऊपर बड़े अक्षरों में वित्तीय लिफाफा बी लिखा जावे। सबसे पहले लिफाफा 'ए' खोला जावेगा इसके बाद लिफाफा 'बी'।
2. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं कि जायेगी। निविदा प्रस्तुत करने का आशय यह होगा कि निविदाकार को इस निविदा की सभी शर्तें स्वीकार हैं।
 3. निविदा आवेदन पत्र के साथ फार्म-ए निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा।
 4. सुरक्षा एजेंसी कार्य हेतु अमानत राशि रू. 50,000 (अक्षरी पचास हजार रूपये मात्र) किसी अनुसूचित बैंक का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, छत्तीसगढ़ रायपुर के नाम से निविदा फार्म के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
 5. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सुरक्षा एजेंसियों के लिए निर्धारित सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
 6. निविदा कर्ता को जी.एस.टी. पंजीयन नम्बर की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा।
 7. फर्म/संस्था का EPF पंजीयन के प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
 8. फर्म/संस्था ESIC पंजीयन के प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
 9. फर्म/संस्था का MSME/NSIC पंजीयन के प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
 10. फर्म/संस्था का ISO 9001:2015 पंजीयन के प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
 11. फर्म/संस्था का पेन नम्बर की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा।
 12. फर्म/संस्था के सुरक्षा गार्ड के कार्य का जीवित पंजीयन संलग्न करना होगा।
 13. फर्म/संस्था के सुरक्षा गार्ड से संबंधित कार्य हेतु पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
 14. निविदा कर्ता को सुरक्षा व्यवस्था कार्य शासकीय/अर्धशासकीय/फर्म में किये गये कार्य का विगत 03 वर्षों का (2015-16, 2016-17, 2017-18) अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
 15. निविदाकार संस्था/फर्म का विगत तीन वर्षों का (2015-16, 2016-17, 2017-18) लगातार प्रत्येक वर्ष न्यूनतम 50 लाख (पचास लाख रू.) सुरक्षा एजेंसी कार्य का टर्नओवर (जिसका चार्टर्डेट एकाउन्टेड का सत्यापन प्रमाण पत्र) प्रस्तुत किया जाना होगा।



16. निविदाकर्ता द्वारा छत्तीसगढ़ शासन का श्रम आयुक्त द्वारा निर्धारित वेतन मान से कम वेतन मान की निविदा स्वीकार नहीं किया जावेगा।
17. निविदाकर्ता को राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, छत्तीसगढ़ रायपुर की सुरक्षा व्यवस्था कार्यो हेतु (सुरक्षा गार्ड-09 एवं सुपरवाइजर-01) प्रत्येक 08 घण्टे की प्रत्येक पाली में 03 सुरक्षा गार्ड सुबह 08:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक, शाम 04:00 बजे से रात्रि 12:00 बजे तक एवं रात्रि 12:00 से प्रातः 08:00 बजे तक एवं 01 सुपरवाइजर की व्यवस्था किया जाना है।
18. निविदाकर्ता द्वारा राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, छत्तीसगढ़ रायपुर के मेन गेट, मुख्य भवन व अतिथि गृह प्रत्येक पर 01 सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था करना होगा (एक पाली में 03 सुरक्षा गार्ड)।
19. निविदाकर्ता द्वारा 01 सुपरवाइजर प्रत्येक पाली में 03 घंटे उपस्थित होकर सुरक्षा गार्डों की व्यवस्था को सुनिश्चित करना होगा।
20. सुरक्षा गार्ड की शिफ्ट चेंज होने के दूसरे शिफ्ट के सुरक्षा गार्ड को परिषद् भवन की सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, छत्तीसगढ़ रायपुर में उपलब्ध सामग्री की सुरक्षा व देख रेख की संपूर्ण जिम्मेदारी होगी।
21. निविदाकर्ता द्वारा सुरक्षा पर लगाये गये सुरक्षा गार्डों के द्वारा परिषद् भवन एवं अतिथि गृह के अंदर व बाहर की संपूर्ण सुरक्षा की जिम्मेदारी होगी।
22. सुरक्षा गार्डों के द्वारा किसी भी असामाजिक तत्वों व व्यक्तियों के प्रवेश को रोकना होगा।
23. किसी भी पशु, गाय, भैंस, बकरी, सुअर आदि को परिषद् में प्रवेश से रोकना होगा।
24. निविदाकर्ता द्वारा सुरक्षा पर लगाये गये सुरक्षा गार्डों का पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
25. निविदा समिति को न्यूनतम निविदा दर स्वीकार करने की बाध्यता नहीं होगी।
26. निविदाकर्ता फर्म को सुरक्षा गार्ड कर्मचारियों की व्यवस्था करने वाले फर्म/संस्थान को EPF & ESIC तथा अन्य श्रम विभागों में पंजीकृत होना आवश्यक है जिसके द्वारा नियमानुसार कर्मचारी भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम का लाभ प्रदान किया जाना अनिवार्य है।

